

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 370 / 2011
संस्थान दिनांक 19.07.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

सतीश पटेल पिता रमेश पटेल,
आयु 24 वर्ष, निवासी-ग्राम जलखा,
थाना बलकवाड़ा, जिला खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 102 / 2011 अंतर्गत 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 19.07.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 09.06.2011 को समय प्रातः लगभग 9:00 बजे, ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटे पर ढाबे के पास वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से राजेन्द्र एवं अभिषेक को उपहति कारित करने तथा लक्ष्मीबाई की उक्त वाहन से लक्ष्मीबाई की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 279, 337 (2 शीर्ष), 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.06.2011 फरियादी संजय बिल्लौरे के जीजा राजेन्द्र, बहन लक्ष्मीबाई, भांजा अभिषेक बारात में मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 ई. 7366 से जलखेड़ा से ग्राम सेगावां जा रहे थे तथा साथ में मोटरसाईकिल से फरियादी एवं निशाव गायत्री भी जा रहे थे। फरियादी के जीजा राजेन्द्र की मोटरसाईकिल आगे-आगे चल रही थी तथा वह पीछे था। दोनों मोटरसाईकिल जब ए.बी. रोड़ सेगवाल

फाटे के आगे रामनारायण ढाबे के सामने जैसे ही पहुँची कि पीछे से एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 का चालक अपने वाहन ट्रक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाया व आगे चल रहे फरियादी के जीजा की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल सहित गिर गये जिसे राजेन्द्र, लक्ष्मीबाई व अभिषेक को चोटें आई। लक्ष्मीबाई को आई चोटों से घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई तथा घायल राजेन्द्र एवं अभिषेक को ईलाज हेतु चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस ने फरियादी संजय बिल्लौर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 102/2011 अंतर्गत धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण नहीं किया गया तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2011 को समय प्रातः लगभग 9:00 बजे, ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटे पर ढाबे के पास वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर राजेन्द्र एवं अभिषेक को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर लक्ष्मीबाई को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी राजेन्द्र प्रसाद, (अ.सा.1), अभिषेक (अ.सा.2), संजय बिल्लौरे (अ.सा.3), निशाबाई बिल्लौरे (अ.सा.4), गायत्री शर्मा (अ.सा.5), डॉ. दुर्गासिंह चौहान (अ.सा.6), राजेश (अ.सा.7), रामनारायण (अ.सा.8), अशोक वर्मा (अ.सा.9) एवं प्रधान आरक्षक मुकेश कुमरावत (अ.सा.10) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी राजेन्द्र प्रसाद अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया कि घटना 9 जून 2011 की है। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी एवं पुत्र अभिषेक के साथ मोटरसाईकिल से बारात में सेगौंव जा रहे थे। मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 ई. 7366 वह चला रहा था। उसकी मोटरसाईकिल के पीछे उसका साला संजय अपनी पत्नी निशा एवं बहन गायत्री के साथ उसकी मोटरसाईकिल से था। सेगवाल फाटे पर रामनारायण ढाबे के सामने दो ट्रक सेंधवा की ओर जा रहे थे तथा वह भी अपनी मोटरसाईकिल से सेंधवा जा रहा था, उसकी मोटरसाईकिल से पीछे से आने वाले दूसरे ट्रक ने पहले ट्रक को ओव्हर टेक तेज गति से किया जिसके कारण ट्रक ने उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह और उसका पुत्र डिवाइडर में जाकर गिर गया और उसकी पत्नी सड़क पर जाकर गिर गई, जिससे उसी ट्रक का पिछला पहिया उसके ऊपर चढ़ गया, जिस ट्रक ने उनको टक्कर मारी थी उसका क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8822 था। ट्रक का चालक ट्रक को तेज गति से चलाकर लाया था। लक्ष्मीबाई की मौके पर ही मृत्यु गई थी। घटनास्थल पर रामनारायण यादव आ गये थे, उन्होंने ट्रक को रोका था, उन्होंने घटनास्थल पर ट्रक के चालक को देखा था। पुलिस ने शव का नक्शालाश पंचायतनामा बनाया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी का कथन है कि वह टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक को नहीं पहचान सकता है। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 के कथन में यह बता दिया था कि उसके पीछे दो ट्रक चल रहे थे और पीछे वाले ट्रक ने आगे वाले ट्रक को ओव्हर टेक कर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी, यदि उक्त बात प्रदर्शपी 1 में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है।

8. अभिषेक अ.सा 2, संजय बिल्लौर असा 3, निशाबाई अ.सा. 4, गायत्री शर्मा असा 5 ने भी मोटरसाईकिल को ट्रक से टक्कर मारने पर लक्ष्मीबाई की मोटरसाईकिल से गिरने और ट्रक के नीचे आने से उसकी मृत्यु घटनास्थल पर होने से स्पष्ट कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चला रहा था। साक्षीगण ने ट्रक का क्रमांक भी बताया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी अभिषेक असा 2 ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी मोटरसाईकिल तेज गति से चल रही थीं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पापा की मोटरसाईकिल का संतुलन बिगड़ गया था, जिससे उसकी माता गिर गई थी। संजय असा 3 ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 3 थाना ठीकरी पर दर्ज कराने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 तथा राजेन्द्र की मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटना के समय राजेन्द्र की मोटरसाईकिल से 250 फीट पीछे चल रहा था और वे लोग फोर लेन ए.बी. रोड पर चल रहे थे, तथा मोटरसाईकिल चलाने हेतु सड़क किनारे रास्ता रहता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी बहन लक्ष्मीबाई मोटरसाईकिल से गिर गई थीं, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने ट्रक को मोटरसाईकिल से लगते या टकराते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे ट्रक का क्रमांक पुलिस ने लिखकर दिया था। निशा अ.सा. 4 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस ट्रक से राजेन्द्र की मोटरसाईकिल की दुर्घटना हुई है उसका क्रमांक उसे नहीं मालूम है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय राजेन्द्र मोटरसाईकिल को तेज गति से चला रहा था। गायत्री असा 5 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 6 के पंचनामों में ट्रक का क्रमांक एम. पी. 09 एच.एफ. 8822 बताया था, लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक का चालक तेज गति से चलाकर लाया था, जिससे राजेन्द्र की मोटरसाईकिल को टक्कर लगी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि राजेन्द्र तेज गति से मोटरसाईकिल चला रहा था और दुर्घटना राजेन्द्र की गलती से हुई थी।

9. राजेश असा 8, रामनारायण असा 7 ने ट्रक के चालक द्वारा मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर एक महिला की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर रामनारायण असा 7 ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 8 के कथन में दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 8 के कथन में ट्रक चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से ट्रक चलाने वाली बात बताई थी। राजेश असा 8 ने पुलिस को प्रदर्शपी 9 में ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाने की बात बताने से इंकार किया है।

10. डॉ. दुर्गासिंह चौहान असा 6 ने दिनांक 09.06.10 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में नगर सैनिक भाभर द्वारा लाये जाने पर लक्ष्मीबाई पति राजेन्द्र के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु का कारण सिर में आई चोटों से होना तथा दुर्घटनात्मक प्रकृति की होना बताया था तथा मृत्यु का समय 0 से 12 घंटे होना बताया था। साक्षी ने उसका शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 भी प्रमाणित किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष को स्वीकार किया है कि तेज गति से चल रही मोटरसाईकिल से गिरने से उक्त चोटें आना संभव है।

11. अशोक वर्मा असा 9 ने दिनांक 10.6.2011 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 102/2011 में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसमें कोई यांत्रिकीय त्रुटि नहीं होना पाई थी तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उक्त वाहन चलाकर नहीं देखा था और उसने उक्त प्रतिवेदन अनुमान से दिया था।

12. प्रधान आरक्षक मुकेश कुमारवत असा 10 का कथन है कि उसने दिनांक 09.06.2011 थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 102/2011 की विवेचना के दौरान संजय बिल्लोरे की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने लक्ष्मीबाई की पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 1 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 2 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने लक्ष्मीबाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। उसने घटनास्थल से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 को प्रदर्शपी 10 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के पेश करने पर ट्रक के दस्तोवज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त की थी तथा उसने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 ई. 766 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने अपने कथन में ट्रक चालक का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ए.बी रोड पर सेकड़ों वाहन आते-जाते रहते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर लेखबद्ध कर लिये थे।

13. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण में फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान घटना के समय ट्रक चलाने वाले चालक के रूप में नहीं की है। यहाँ तक कि राजेन्द्र असा 1 का कथन है कि वह टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक को नहीं पहचानता है। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की पहचान भी घटना के चशमदीद साक्षियों से नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति

में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त वाहन की टक्कर राजेन्द्र व अभिषेक को मारकर उपहति कारित की तथा लक्ष्मीबाई को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मावन वध की श्रेणी में नहीं आती हैं

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त सतीश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त सतीश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337 (2 शीर्ष), 304—ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 8224 दिनांक 13.06.2011 को उसके पंजीकृत स्वामी मनजिन्दरसिंह पिता कृपालसिंह, निवासी—इन्दौर म.प्र. को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी